



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 179330

## ट्रस्ट डीड / न्यास का विलेख

हम कि राजनाथ यादव पुत्र स्व० गयादीन यादव श्रीमती शकुन्तला यादव पत्नी श्री राजनाथ यादव दिग्विजय सिंह यादव पुत्र श्री राजनाथ यादव, कु० पूर्णिमा यादव एवं कु० हिना यादव पुत्रीगण श्री राजनाथ यादव, निवासीगण ग्राम- रामदासपुर, परगना- हवेली, डाकखाना- फतेहगंज, तहसील- सदर, जिला- जौनपुर एतद्द्वारा निम्नलिखित ट्रस्ट/न्यास का सृजन कर रहे हैं और उसका यह विलेख आज दिनांक 10-08-2011 को निष्पादित कर रहे हैं :-

1. न्यास के सृजकगण : वर्तमान विलेख के निष्पादकगण उपरोक्त हैं।
2. न्यास का नाम : आर०एन० एजुकेशनल ट्रस्ट
3. न्यास का संस्थापन : ग्राम- रामदासपुर, परगना- हवेली, डाकखाना- फतेहगंज, स्थल एवं मुख्यालय तहसील- सदर, जिला- जौनपुर।
4. न्यास का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत
5. न्यास का उद्देश्य (अ) सामान्य प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं शिक्षा अथवा दीक्षा एवं प्रशिक्षण अथवा अग्रेतर उच्चतर शिक्षा एवं दीक्षा एवं तत्सम्बन्धित शोध एवं

(राजनाथ यादव)





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

अनुसंधार कार्य एवं शैक्षणिक, दीक्षा एवं प्रशिक्षण और शिक्षा अथवा वैज्ञानिक, प्रबन्धकीय, वाणिज्यिक, अभियांत्रिकी एवं चिकित्सीय एवं स्वास्थ्य सम्बन्धित शिक्षा एवं दीक्षा एवं सम्बन्धित प्रशिक्षण हेतु शैक्षणिक योग्यता, रोजगारपरक ज्ञान एवं स्वावलम्बन की क्षमता व ज्ञान के लिए उससे सम्बन्धित विद्यालय, संस्थान, केन्द्र एवं सील की स्थापना और उसमें विशेष रूप से सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े व कमजोर व्यक्तियों को उचित एवं आवश्यक सुविधा व साधन उपलब्ध कराना और उन्हें उस हेतु प्रोत्साहित करना और उसके लिए आवश्यक धन, साधन व सम्पत्ति की एवं उचित व आवश्यक निर्माणादि एवं अन्य मानवीय व अन्य सुविधायें प्रदान करने के लिए उसके इन्फ्रास्ट्रक्चर / मौलिक एवं आवश्यक ढाँचे व तंत्र की व्यवस्था करना और उसके लिए आवश्यक धन, साधन, आय, निवेश, सम्पत्ति आदि की व्यवस्था करना और उसकी सफलता, विकास व उपयोगिता हेतु और उसके छात्र समूह के व्यक्तित्वगत, शारीरिक व शैक्षणिक आवश्यकता व

15791 थ. 2129





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

विकास हेतु सभी उचित कार्य करना।

(ब) प्राथमिक स्तर पर बी.टी.सी. शिक्षा दीक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु उचित कार्य व प्रयास करना और उसका उचित नामकरण करना और उसकी औपचारिकताओं को पूरा करना।

6. न्यासी मण्डल

: उपरोक्त वर्तमान विलेख के निष्पादकगण वर्तमान न्यास के आजीवन न्यासीगण रहेंगे जिसमें समय-समय पर तत्कालीन न्यासी मण्डल की लिखित अनुमति व प्रस्ताव पर न्यासी मण्डल के परिवार के या उनके निकट सम्बन्धी के अन्य उपयुक्त इच्छुक एवं निष्ठावान व्यक्ति भी वर्तमान न्यासी मण्डल में शामिल किये जा सकेंगे, जिनकी अधिकतम संख्या 11 (ग्यारह) रहेगी। उसके वर्तमान मुख्य न्यासी श्री राजनाथ यादव उपरोक्त हैं व रहेंगे और आवश्यकतानुसार भविष्य में न्यासीमण्डल में किसी स्थायी आकस्मिक रिक्ति या अभाव की अवस्था में उस रिक्त स्थान पर उपरोक्तानुसार पात्र व्यक्ति का बतौर न्यासी चयन हो सकेगा जो न्यासी मण्डल में शामिल

(157212-2144)



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

उप सहायक  
लेखपाल  
अध्यापक

AS 126581

हो जायेंगे और उसी प्रकार आवश्यकतानुसार किसी कारण स्थायी आकस्मिक रिक्ति की दशा में नये मुख्य न्यासी का चयन और उनकी नियुक्ति होगी जो न्यासी मण्डल के लिखित प्रस्ताव के अनुसार होगी।

7. न्यास की सम्पत्ति (अ) 10,000/- (दस हजार) रूपये की नकद धनराशि।  
(ब) उक्त न्यास के पास उपलब्ध अचल सम्पत्ति अथवा भविष्य में अर्जित प्राप्त अन्य सम्पत्ति, आय, धन-निवेश आदि।
8. अन्य प्राविधान (अ) वर्तमान न्यास पर भारतीय न्यास अधिनियम 1882 लागू रहेगा और उसके कार्यकलाप तदनुसार एवं उपरोक्त शर्तों व प्राविधानों के अनुसार नियंत्रित, शासित एवं कार्यशील रहेंगे।  
(ब) तदनुसार उक्त न्यास पर एवं उसके कार्यकलाप एवं उसकी संस्थाओं पर अन्य उचित एवं आवश्यक विधियां, नियम आदि, विनियम आदि, निर्देश आदि एवं शासनादेश एवं शासकीय अपेक्षा और मार्ग निर्देश भी उपरोक्त प्राविधानों व शर्तों के अनुसार और उसके अधीन लागू रहेंगे।

अध्यापक  
S/O श्री सावित्री नारायण सिंह  
आवक - 4325  
अध्यापक

अध्यापक  
श्री अमृत प्रकाश शर्मा  
अध्यापक



भारतीय गैर न्यायिक

दस  
रुपये  
रु.10



TEN  
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

25AB 685447

लज्जा च मुख

टाईपकर्ता :

शोशान्ते मिश्रा  
छापकर्ता - अशोक कुमार सिंह वं. 1

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 धारा 32 ए० के अनुपालन हेतू  
फिंगर प्रिन्ट्स

विकेता-

1- नि० अ० बायों



तर्जनी



मध्यमा




अनामिका



कनामिका



नि० अ० दायों



तर्जनी




मध्यमा




अनामिका




कनामिका




2- नि० अ० बायों




तर्जनी




मध्यमा




अनामिका




कनामिका




नि० अ० दायों




तर्जनी




मध्यमा




अनामिका




कनामिका




3- नि० अ० बायों




तर्जनी




मध्यमा




अनामिका




कनामिका




नि० अ० दायों




तर्जनी




मध्यमा




अनामिका




कनामिका



4- नि० अ० बायों




तर्जनी




मध्यमा



अनामिका



कनामिका



नि० अ० बायों




तर्जनी




मध्यमा



अनामिका



कनामिका






11/106

आज दिनांक 10/08/2011 को  
वही सं. 4 जिल्द सं. 63  
पृष्ठ सं. 31 से 42 पर क्रमांक 106  
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
( राम अकवाल सिंह )

उप निबन्धक (सदर)

लौनपुर

10/8/2011

